न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 73/2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा। — आवेदक—

बनाम

1. श्री हैप्पी ताम्बी पुत्र श्री प्रेमप्रकाश ताम्बी
एफ.बी.ओ. मैसर्सः—हैप्पी ट्रेडर्स, सिकन्दरा रोड बांदीकुई जिला दौसा। निवासी जलदाय विभाग के पास, वाटरबॉक्स कॉलोनी बांदीकुई जिला दौसा।
2. श्रीमति कुसुम परनामी पत्नि श्री अनिल परनामी
प्रोपराईटर मैसर्सः—अनिल परनामी एण्ड संस, दुकान नम्बर 50, कटला पुरोहित जी का, त्रिपोलिया बाजार जयपुर, निवासी 646 20 दुकान आदर्श नगर जयपुर।
3. श्री कुणाल कटपाल पुत्र श्री मोहिन्दर तकनीकी व्यक्ति/नोमिनी मैसर्सः—सेवर इण्डिया प्रा. लिमिटेड, रजि. आफिस डी.डी.ए. मार्केट शिव नगर जेल रोड नई दिल्ली।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दंडनीय धारा 52

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रतिनिधि चन्द्र किशोर यादव उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 25.10.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ0 मदनलाल गूजर ने दिनांक 05.04.2023 को 03:31 पीएम पर मैसर्सः—हैप्पी ट्रेडर्स, सिकन्दरा रोड बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां श्री हैप्पी ताम्बी पुत्र श्री प्रेमप्रकाश ताम्बी मिला। जिसको अपना परिचय दिया तथा पूछने पर स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा बिक्री पत्र दिखाया। निरीक्षण के समय फर्म पर अन्य खाद्य पदार्थो के साथ कॉर्न फ्लैक्स प्रोपरायटरी फूड सैवर ब्राण्ड(**Corn Flakes Proprietary Food Savour Brand**) कागज के तीन कार्टून में 500—500 ग्राम के 36 पैकिट आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे हुये थे। जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री हैप्पी ताम्बी को नियमानुसार फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ कॉर्न फ्लैक्स प्रोपरायटरी फूड सैवर ब्राण्ड(**Corn Flakes Proprietary Food Savour Brand**) वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उसमें से 4 पैकिट 500—500 ग्राम मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 360/—(अक्षरे तीन सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ कॉर्न फ्लैक्स प्रोपरायटरी फूड सैवर ब्राण्ड(**Corn Flakes Proprietary Food Savour Brand**) 500—500 ग्राम के 4 पैकिटो को विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर अलग—अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक डिब्बे को खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एजी—3240 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी–3240 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 06.04.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 06.04.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ कॉर्न फ्लैक्स प्रोपरायटरी फूड सैवर ब्राण्ड(**Corn Flakes Proprietary Food Savour Brand**) की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./532/एक्ट/2023/554 दिनांक 17.04.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कॉर्न फ्लैक्स प्रोपरायटरी फूड सैवर ब्राण्ड(**Corn Flakes Proprietary Food Savour Brand**) का नमूना मिथ्याछाप(**Misbrand**) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रतिनिधि श्री चन्द्र किशोर यादव उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./532/एक्ट/2023/554 दिनांक 17.04.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कॉर्न फ्लैक्स प्रोपरायटरी फूड सैवर ब्राण्ड(**Corn Flakes Proprietary Food Savour Brand**) का नमूना जांच रिपोर्ट में **Date of Manufacture Feb. 2023** तथा **USE BY/EXPIRY DATE Oct. 2023** अंकित किया गया है। इस प्रकार **FSS(Labelling and display)Regulation 2020** के **Regulation No. 2.5.3(D)** का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ कॉर्न फ्लैक्स प्रोपरायटरी फूड सैवर ब्राण्ड(**Corn Flakes Proprietary Food Savour Brand**) का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 के प्रतिनिधि द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि मैसर्स हैप्पी ट्रेडर्स सिकन्दरा रोड बांदीकुई द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ कॉर्न फ्लैक्स प्रोपरायटरी फूड सैवर ब्राण्ड(**Corn Flakes Proprietary Food Savour Brand**) मैसर्स अनिल परनामी एण्ड संस 50 कटला पुरोहित जी का त्रिपोलिया बाजार जयपुर के वारण्टी बिल/इनवॉयस नं. एल–4233 दिनांक 13.2.2023 द्वारा क्रय किया गया है तथा मैसस अनिल परनामी एण्ड संस द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैसर्स सेवर इण्डिया प्रा. लि. डी.डी.ए. मार्केट शिव नगर जेल रोड नई दिल्ली से बिल/इनवॉयस नं. 3243 दिनांक 28.2.2023 द्वारा क्रय किया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच में पाई गई कमियों को संशोधित कर **Date of Manufacture** तथा **USE BY/EXPIRY DATE** नियमानुसार अंकित कर दी जावेगी। इस प्रकार की गलती भविष्य में ना हो इसका भी ध्यान रखा जायेगा। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./532/एक्ट/2023/554 दिनांक 17.04.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कॉर्न फ्लैक्स प्रोपरायटरी फूड सैवर ब्राण्ड(**Corn Flakes Proprietary Food Savour Brand**) का नमूना जांच रिपोर्ट में **FSS(Labelling and display)Regulation 2020** के **Regulation No. 2.5.3(D)** का उल्लंघन होने से मिथ्याछाप(**Misbrand**) स्तर का पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप(**Misbranded**) खाद्य पदार्थ कॉर्न फ्लैक्स प्रोपरायटरी फूड सैवर ब्राण्ड(**Corn Flakes Proprietary Food Savour Brand**) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 श्री कुणाल कटपाल पुत्र श्री मोहिन्दर तकनीकी व्यक्ति/नोमिनी मैसर्सः–सेवर इण्डिया प्रा. लिमिटेड, रजि. आफिस डी.डी.ए. मार्केट शिव नगर जेल रोड नई दिल्ली पर 15000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 25.10.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ 2023/ दिनांकः– 25.10.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री हैप्पी ताम्बी पुत्र श्री प्रेमप्रकाश ताम्बी
   एफ.बी.ओ. मैसर्सः–हैप्पी ट्रेडर्स, सिकन्दरा रोड बांदीकुई जिला दौसा। निवासी जलदाय विभाग के पास, वाटरबॉक्स कॉलोनी बांदीकुई जिला दौसा।
4. श्रीमति कुसुम परनामी पत्नि श्री अनिल परनामी
   प्रोपराईटर मैसर्सः–अनिल परनामी एण्ड संस, दुकान नम्बर 50, कटला पुरोहित जी का, त्रिपोलिया बाजार जयपुर, निवासी 646 20 दुकान आदर्श नगर जयपुर।
5. श्री कुणाल कटपाल पुत्र श्री मोहिन्दर तकनीकी व्यक्ति/नोमिनी मैसर्सः–सेवर इण्डिया प्रा. लिमिटेड, रजि. आफिस डी.डी.ए. मार्केट शिव नगर जेल रोड नई दिल्ली 110058

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा